"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 406] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 जुलाई 2021 — श्रावण 6, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 27 जुलाई 2021

क्रमांक 7596/डी. 75/21-अ/प्रारू./छ. ग./21. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 08-07-2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 12 सन् 2021)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 01-12-2020 से प्रवृत्त होगा.

धारा 19 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 19 की उप-धारा (1) के खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(दो) अधिसूचित कृषि उपज पर, चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में लाई गई हो और प्रसंस्करण तथा विनिर्माण में उपयोग के लिए लाये जाने के पश्चात् प्रसंस्कृत तथा विनिर्मित उत्पाद के विक्रय किये जाने पर;

ऐसी दरों से, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर न्यूनतम पचास पैसे की दर के और अधिकतम तीन रुपये की दर के अध्यधीन रहते हुए, नियत की जाए, विहित रीति में मण्डी फीस का उद्ग्रहण करेगी; इसके अतिरिक्त,

ऐसी दरों से, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर न्यूनतम पचास पैसे की दर के और अधिकतम दो रुपये की दर के अध्यधीन रहते हुए, नियत की जाए, विहित रीति में कृषक कल्याण शुल्क का उद्ग्रहण करेगी :

परन्तु उस मण्डी समिति को छोड़कर, जिसके मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि-उपज, यथास्थिति, किसी कृषक या व्यापारी द्वारा प्रथम बार विक्रय या प्रसंस्करण तथा विनिर्माण हेतु लाई गई हो, कोई मण्डी समिति ऐसी मण्डी फीस तथा कृषक कल्याण शुल्क का उद्ग्रहण नहीं करेगी."

धारा 79 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (2) के खण्ड (पांच) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(पांच-क) कृषक कल्याण शुल्क की वसूली के लिए प्रक्रिया, कृषक कल्याण शुल्क के अपवंचन के लिए जुर्माना, विवरणियां देने में व्यतिक्रम होने की दशा में कृषक कल्याण शुल्क की निर्धारण की रीति तथा कृषक कल्याण शुल्क की उपयोजन की प्रक्रिया;"

अटल नगर, दिनांक 27 जुलाई 2021

क्रमांक 7596/डी. 75/21-अ/प्रारू./छ. ग./21.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27-07-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 12 of 2021)

THE CHHATTISGARH KRISHI UPAJ MANDI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2020

An Act further to amend the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy First Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Adhiniyam may be called the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020. **Short title, extent and commencement.**

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force with retrospective effect from the date of 1st December, 2020.

2. For clause (ii) of sub-section (1) of Section 19 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be substituted, namely :- **Amendment of Section 19.**

"(ii) On the notified agricultural produce whether brought from within the State or from outside the State into the market area and used for processing and manufacturing and thereafter sale of processed and manufactured items.

At such rates as may be fixed by the State Government, from time to time, subject to a minimum rate of fifty paise and a maximum of three rupees for every one hundred rupees of the price in the manner prescribed; in addition,

Farmer Welfare Fees, at such rates as may be fixed by the State Government, from time to time, subject to a minimun rate of fifty paise and a maximum of two rupees for every one hundred rupees of the price in the manner prescribed :

Provided that no Market Committee other than the one in whose market area the notified agricultural produce is brought for sale or processing and manufacturing by an agriculturist or trader, as the case may be, for the first time shall levy such market fees and Farmer Welfare Fees."

3. After clause (v) of sub-section (2) of Section 79 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :- **Amendment of Section 79.**

"(v-a) The procedure for recovery of Farmer Welfare Fees, fine for evasion of Farmer Welfare Fees, manner for assessment of Farmer welfare fees in default of furnishing returns and procedure of use of Farmer welfare fees;"

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021.